FORM III

फर्द अहकाम

(नियम -- 26)

आज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट मुकाम खण्डेला

सन्तूराम वगै. बनाम भूमिधारी

मुकदमा दावा घोषणा व दुरस्ती रिकार्ड (रा0 धा0 88) मु0नं0 58 सन् 2024

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
वकील वादी श्री बसन्त कुमार ने हाजिर अदालत होकर वाद पत्र पेश किया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादी की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 06.06.2024 को पेश हो।	342 17/5/24
6/6/24 पत्रावली पेश हुई। बवजह उप./ अनुपस्थित/पीठासीन अधिकारी दौरे पर/अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा दिनांक 3/7/24 को पेश हो।	
3/7/24 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी सं.1 के नोटिस तामिल सम्यक रूप से होकर पत्रावली मे शामिल है तथा प्रतिवादी सं.1 भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला का जवाब/रिपोर्ट पेश हुई जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 4/7/24 को पेश हो।	
4/7/24 पत्रावली वास्ते बहस पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी की बहस सुनी गयी। वास्ते निर्णय पत्रावली दिनांक 10/7/24 को पेश हो।	
10/7/24 पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला के पत्रावली मे पूर्व में रिपोर्ट पेश की हुई शामिल है। वकील वादी ने दौराने बहस निवेदन किया कि कृषि भूमि खसरा 836 रकबा 0.05 हे0, 837 रकबा 0.16 हे0	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	839 रकबा 0.31 हे० व ख०न० 840 रकबा 0.41 कुल किता 4 कुल रकबा 0.95 हे० तन ग्राम गुरारा पटवार हल्का गुरारा तहसील खण्डेला में वादी का नाम सन्त पुत्र मूला नाम दर्ज है जो कि गलत है वादी का नाम गांव में साधारण बोलचाल की भाषा में ही सन्त पुत्र मूला दर्ज किया जबकि वादी के शैक्षणिक दस्तावेज मतदाता पहचान पत्र, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड आधार कार्ड, बैंक पास, में सन्तु कुमावत पुत्र मुरलीधर कुमावत दर्ज है और वादी को इसी नाम से जाना एवं पहचाना जाता है तथा वादी की जाति राजस्व रिकार्ड मे प्रजापति दर्ज है सही व वास्तविक जाति कुम्हार है अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार कर वादी का नाम सन्त पुत्र मूला के स्थान पर सन्तुराम कुमावत पुत्र मुरलीधर कुमावत तथा जाति प्रजापति के स्थान पर कुमावत (कुम्हार) दुरुस्त कराया जाकर राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावे। जिसके संबंध मे प्रतिवादी सं.1 भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला की रिपोर्ट पत्रावली मे पेश हुई। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार खण्डेला राजस्व ग्राम गुरारा के ख०न० 836, 837, 839, 840 किता 4 रकबा 0.95 हे० मे सन्त पुत्र मूला हि० 1/6 जाति कुम्हार (प्रजापति) खा. डेट दर्ज रिकार्ड है तथा वादी के दस्तावेजो मे वादी का नाम सन्तु कुमावत पुत्र मुरलीधर कुमावत दर्ज है अतः ग्राम गुरारा के भूमि ख०न० 836, 837 839, 840 मे वादी का नाम "सन्त पुत्र मूला" के स्थान पर सन्तुराम कुमावत पुत्र मुरलीधर कुमावत किये जाने की अभिशंसा की है।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व दस्तावेजात जन आधार कार्ड, पेन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पास बुक, राशन कार्ड व तहसीलदार खण्डेला की रिपोर्ट आदि का अवलोकन किया गया

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

...कील वादी की बहस/निवेदन पर गौर मनन
...िया गया। वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात जन
...ाधार कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पास बुक
...शन कार्ड मे वादी का नाम सन्तू कुमावत पुत्र मुरली
...र कुमावत अंकित होने व मुताबिक रिपोर्ट –
...तहसीलदार खण्डेला के आधार पर वादी का नाम
...न्ता पुत्र मूला' के स्थान पर "सन्तूराम कुमावत
...त्र मुरलीधर कुमावत' दुरुस्त किया जाना
...यायोचित है।

अतः वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88
...ज० काश्त० अधिनियम मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार
...ण्डेला के अनुसार स्वीकार किया जाकर तथा
...ादी डिक्री योग्य पाये जाने पर डिक्री किया
...ाता है तथा घोषणा की जाती है कि:-

<u>आदेश</u>

राजस्व ग्राम गुवारा पचार हल्का गुवारा
...हसील खण्डेला जिला सीकर मे अवस्थित भूमि
...सरा नं० 836, 837, 839, 840 कुल किता 4 रकबा
...95 हे० मे हि० 1/6 की खातेदारी भूमि मे वादी
...ा नाम 'सन्ता पुत्र मूला' के स्थान पर "सन्तूराम कुमावत
...ुत्र मुरलीधर कुमावत" दुरुस्त किया जाता है।
...सी प्रकार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किये
...ाने हेतु डिक्री जारी की जाती है। पत्रावली फैसल
...ुमार होकर नम्बर से कम हो, तथा बाद तकमील
...ाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय मे
...ुनाया गया।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला (सीकर)